रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 3 जुलाई, 1985/12 आषाढ़, 1907

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला–2, 18 जून, 1985

संख्या पी०सी०एच०-एच ए०(4)-16/76-XI.—अधिसूचना संख्या पी०सी०एच०-एच ए०(4)-16/76-9, दिनांक 21 मार्च, 1985 तथा अधिसूचना संख्या पी०सी०एच०-एच ए०(4)-16/76-XI, दिनांक 4-4-85 तथा अधिसूचना संख्या पी०सी०एच०-एच ए०(4)-16/76-7, दिनांक 28-10-1983 को आंशिक रूप में संशोधित करके राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, उन शक्तियों के अन्तर्गत जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 4 तथा 5 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, जिला कांगड़ा के बैजनाथ तथा रैत विकास खण्डों

के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन/विभाजन करके उनके लिए निम्न प्रकार से ग्राम सभाओं की स्थापना करते हैं :—

क्रम सं0	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ सं0 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	कोष्ठ सं0 2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जन होने वाले ग्रामों के नाम	अपवर्जित ग्रामों से बनी ग्राम सभा का नाम तथा उसका मुख्य वास	कोष्ठ स0 5 में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
		विकास खण्ड: बैजनाथ				
1.	गदयाड़ा	1. गदयाड़ा बुहला। 2. गदयाड़ा उपरला। 3. हाड़ी	1. हाड़ी	—	—	1. कोष्ठ सं0 4 में वर्णित ग्राम सभा लंघू का केवल मात्र ग्राम "लंघू" को ग्राम सभा गदयाड़ा में मिलाया गया है और इस तरह
2.	1. लंघू	1. लंघू	1. लंघू	—	—	ग्राम सभा लंघू का अस्तित्व समाप्त किया जाता है।
3.	माहलपठ	1. महालपठ 2. पहलून 3. नोहरा 4. चकोल	—	—	—	2. कोष्ठ सं0 4 में अंकित ग्राम सभा गदयाड़ा का गांव "हाड़ी" वहां से अपवर्जित करके ग्राम सभा माहलपठ में मिलाया जाता है इस प्रकार अब ग्राम सभा गदयाड़ा में तीन गांव क्रमशः "लंघू", "गदयाड़ा उपरला" तथा "गदयाड़ा बुहला" रह जाएंगे।
4.	धानग	1. धानग 2. कोठी 3. वडह 4. वोलू	1. वोलू	—	—	3. ग्राम सभा "धानग" के ग्राम "वोलू" को वहां से अपवर्जित करके ग्राम सभा "महालपठ" में सम्मिलित किया जाता है।

1	2	3	4	5	6	7
5.	बड़ा ग्रां	1. वलोता 2. बड़ा ग्रां 3. रूलिग 4. कण्डधार 5. सपोला 6. राजगुन्दा 7. ठुठड़ गुन्दा 8. चकवन पलाचक । 9. चकवन पनियारट । 10. ठगयोड़ 11. चकवन करक पाड़ा । 12. चकवन तराह	1. रूलिग	—	—	1. कोष्ठ सं 4 में अंकित ग्राम सभा बड़ा ग्रां के ग्राम "रूलिग" को वहां से अपवर्जित करके ग्राम सभा कोठी कोहड़ में सम्मिलित किया गया । 2. कोष्ठ सं0 4 में अंकित ग्राम "रूलिग" को छोड़ कर कोष्ठ संख्या 3 में अंकित बाकी के 11 गांव ग्राम सभा बड़ा ग्रां में ही रहेंगे ।
6.	कोठी कोहड़	1. चेलरां दी मलाह । 2. गगलू दी मलाह । 3. उपरली कोहड़ । 4. कोठी कोहड़	—	—	—	ग्राम "रूलिग" को ग्राम सभा बड़ा ग्रां से अपवर्जित करके ग्राम सभा कोठी कोहड़ में मिलाया गया ।
7.	संसाई	1. पटेल नगर 2. वरावलखड़ 3. खोली	—	—	—	ग्राम सभा मझोटी के गांव "तैण" को वहां से अपवर्जित करके ग्राम सभा संसाई में मिलाया गया है ।
8.	1. मझोटी	1. मझोटी 2. पुलटा 3. तैण 4. वावल 5. धारकलनी 6. ग्रनीस्थ	तैण	—	—	1. कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम "तैण" को ग्राम सभा मझोटी से अपवर्जित करके ग्राम सभा संसायी में मिलाया गया । 2. कोष्ठ सं0 4 के गांव "तैण" को छोड़ कर कोष्ठ सं0 3 में वर्णित शेष 5 गांव ग्राम सभा मझोटी में ही रहेंगे ।

1	2	3	4	5	6	7
9.	सकड़ी	1. सकड़ी खास 2. हार सकड़ी 3. सकारत	1. हार सकड़ी	—	—	1. कोष्ठ सं0 4 में अंकित ग्राम "हार सकड़ी" को ग्राम सभा सकड़ी से अपवर्जित करके ग्राम सभा वही में मिलाया गया । 2. कोष्ठ सं0 4 में अंकित ग्राम "हार सकड़ी" को छोड़कर कोष्ठ संख्या 3 के शेष दो गांव ग्राम सभा सकड़ी में ही रहेंगे ।
10.	वही	1. खास वही 2. हार वही 3. जभरेला 4. गुजरेड़ा 5. वहल 6. नरगोहड़	—	—	—	ग्राम 'हार सकड़ी' को ग्राम सभा सकड़ी से अपवर्जित करें, ग्राम सभा वही में मिलाया गया।
		विकास खण्ड : रैत				
1.	हरनेरा	1. चालहन 2. महाड़-1 3. महाड़-2 4. भरयाल 5. झिकला हरनरा । 6. हरनेरा 7. उपरला वड़ज 8. चकवन हरनेरा । 9. सिरमणी 10. झिकला वड़ज	महाड़-2	—	—	1. कोष्ठ सं0 4 में अंकित ग्राम "महाड़-2" को ग्राम सभा हरनेरा से अपवर्जित करके ग्राम सभा शाहपुर में सम्मिलित किया जाता है । 2. कोष्ठ सं0 4 में अंकित ग्राम महाड़-2 को छोड़कर कोष्ठ संख्या 3 के बाकी 9 ग्राम ग्राम सभा हरनेरा में ही रहेंगे ।
2.	शाहपुर	1. भगयार 2. चदरूह 3. शाहपुर 4. झल्लाड़ 5. ढलियार 6. क्यारी 7. गन्दरण 8. चतरेड़	—	—	—	ग्राम सभा हरनेरा के ग्राम "महाड़-2" को वहां से अपवर्जित करके ग्राम सभा हरनेरा में मिलाया गया ।

शिमला-2, 18 जून, 1985

संख्या पी0सी0एच0-एच ए0(4)-16/76-XI.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, उन शक्तियों के अन्तर्गत जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 4 तथा 5 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, जिला कांगड़ा के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन/विभाजन करके उनके लिए निम्न प्रकार से ग्राम सभाओं की स्थापना करते हैं:—

क्र0 सं0	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ सं0 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	कोष्ठ सं0 2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जन होने वाले ग्रामों के नाम	अपवर्जित ग्रामों से बनी ग्राम सभा का नाम तथा उसका मुख्य वास	कोष्ठ सं0 5 में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
		विकास खण्ड: नूरपुर				
1.	छतरोली	1. हलेड़ 2. छतरोली 3. तरेटा 4. गथोरा 5. मयुर 6. वासा 7. राजा का बाग 8. नागावाड़ी 9. नगलाहड़	1. वासा 2. राजा का बाग। 3. नागावाड़ी 4. नगलाहड़	नागावाड़ी (मुख्यवास राजा का बाग)	कोष्ठ सं0 4 में अंकित ग्राम।	कोष्ठ सं0 4 के ग्रामों को छोड़कर कोष्ठ सं0 3 के बाकी पांच गांव ग्राम सभा छतरोली में ही रहेंगे।
2.	पंजाहड़ा	1. दुभाल 2. पंजाहड़ा वरसवाला। 3. टिडकर 4. गनोह 5. कैहरना 6. ठठर 7. आधार 8. रोड़ 9. धनेटी चस्डीयां। 10. पंजाहड़ा डाला। 11. टुन्डू	1. रोड़ 2. आधार 3. टुन्डू 4. कैहरना	आधार (आधार)	कोष्ठ सं0 4 में अंकित ग्राम।	कोष्ठ सं0 4 के ग्रामों को छोड़कर कोष्ठ सं0 3 के बाकी 7 गांव ग्राम सभा पंजाहड़ा ही में रहेंगे।

शिमला-2, 18 जून, 1985

संख्या पी0सी0एच0-एच ए0(4)-52/76-5.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, उन शक्तियों के अन्तर्गत जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 4 तथा 5

के अन्तर्गत प्राप्त हैं, जिला हमीरपुर के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन/विभाजन करके उनके लिए निम्न प्रकार से ग्राम सभाओं की स्थापना करते हैं :—

क्र0 सं0	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ नं0 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	कोष्ठ सं0 2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जन होने वाले ग्रामों के नाम	अपवर्जित ग्रामों से बनी ग्राम सभा का नाम तथा उसका मुख्य धाम	कोष्ठ सं0 5 में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
		विकास खण्ड : भोरंज				
1.	बगवाड़ा	1. संगरोह कलां 2. संगरोह खुर्द 3. खनसन 4. बगवाड़ा 5. मतलाना 6. समीरपुर 7. समलेहड़ा 8. दाड़ी 9. भुआना 10. हियोहड़ 11. टाम्बर 12. बहनी 13. डबोह 14. धराना 15. धरोन 16. डमुही 17. भमनोह 18. भुरडाला (बेचिराग)	1. समीरपुर 2. संगरोह कलां । 3. संगरोह खुर्द । 4. भुआना 5. खनसन 6. मतलाना	समीरपुर (समीरपुर)।	कोष्ठ सं0 4 में वर्णित गांव।	कोष्ठ सं0 4 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर कोष्ट संख्या 3 के बाकी ग्राम, ग्राम सभा बगवाड़ा में ही रहेंगे ।

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अधीन जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968, (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 4 तथा 5 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, जिला हमीरपुर के ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन की अधिसूचना संख्या पी0सी0एच0-एच ए0(4)-52/76-III, दिनांक 30-5-84 को आंशिक रूप से संशोधित करके विकास खण्ड हमीरपुर की ग्राम सभा उहल तथा उटपुर के विभाजन को रद्द करने का सहर्ष आदेश देते हैं।

शिमला-2, 18 जून, 1985

संख्या पी0सी0एच0-एच ए0(4)-52/76-5.—अधिसूचना संख्या पी0सी0एच0-एच ए0(4)-52/76-III दिनांक 30 मई, 1984 को आंशिक रूप में संशोधित करके राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, उन शक्तियों के अन्तर्गत जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 4 तथा

5 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, जिला हमीरपुर के हमीरपुर विकास खण्ड के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन/विभाजन करके उनके लिए निम्न प्रकार से ग्राम सभाओं की स्थापना करते हैं :—

क्र0 सं0	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ सं0 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	कोष्ठ सं0 2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जन होने वाले ग्रामों के नाम	अपवर्जित ग्रामों से बनी ग्राम सभा का नाम तथा उसका मुख्य वास	कोष्ठ सं0 5 में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	नालटी	1. पटयाहु 2. डुंग 3. डुकोहल 4. डोखी 5. भरामध 6. बरोटा 7. नाल्टी 8. पलासन 9. जन्द्राह 10. अबदयाल 11. जोल 12. भटवाड़ा 13. डंगुहा 14. ब्राहलड़ी 15. डुडवाणा लोहिया। 16. डुडवाणा धिरथां। 17. ठां 18. गुडवीं 19. टिक्कर	1. ब्राहलड़ी 2. डुडवाणा लोहिया। 3. डुडवाणा धिरथां। 4. ठां 5. गुडवीं 6. टिक्कर	ब्राहलड़ी कोष्ठ सं0 4 में वर्णित ग्राम। पहली अधिसूचना में ये तीन ग्राम छूट गये थे परन्तु ये वास्तव में ग्राम सभा नालटी का भाग हैं।	कोष्ठ सं0 4 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर कोष्ठ सं0 3 के बाकी 13 ग्राम, ग्राम सभा नालटी में ही रहेंगे।	

शिमला-171002, 18 जून, 1985

संख्या पी0सी0एच0-एच ए0(4)-5/77-III.—सं0पी0सी0एच0-एच ए0(4)-5/77-II, दिनांक 5 मई, 1984 को आंशिक रूप में संशोधित करके राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, उन शक्तियों के अन्तर्गत जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 4 तथा 5 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, जिला बिलासपुर के बिलासपुर सदर विकास खण्ड के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन/विभाजन करके उनके लिए

निम्नप्रकार से ग्राम सभाओं की स्थापना करते हैं :—

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ नं० 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	कोष्ठ नं० 2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जन होने वाले ग्रामों के नाम	अपवर्जित ग्रामों से बनी ग्राम सभा का नाम तथा उसका मुख्य वास	कोष्ठ संख्या 5 म वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	वागकलां (मुख्य वास वागकलां) ।	1. सिहलां 2. साई नोडुआ 3. सोहरी 4. पट्टा नोडुआ 5. वागकलां 6. पंजलकलां	1. सिहलां 2. साई नोडुआ । 3. सोहरी 4. पट्टा नोडुआ । 5. वागकलां 6. पंजलकलां 7. चान्दपुर 8. सकरोहा	1. सकरोहा (मुख्यवास सकरोहा)	1. सिहलां 2. साई नोडुआ । 3. सकरोहा 4. गलौड़ 5. पंजैली 6. चान्दपुर 7. चम्यारा 8. जनैड़	1. वागकलां ग्राम सभा के सिहला साई नोंडुआ तथा पंजैल खुर्द ग्राम सभा के गांव सकरोहा, गलौड, पजैली, चान्दपुर, चमयारा तथा जनैड़ वहां से अपवर्जित करके एक नया ग्राम सभा क्षेत्र सकरोहा बनाया गया ।
2.	पंजैल खुर्द (मुख्य-वास धुणी पंजैल ।	1. चान्दपुर 2. सकरोहा 3. जनैड़ 4. चम्यारा 5. पंजैली 6. पंजैली खुर्द 7. गलौड़ 8. चंजोटा 9. वैहली 10. नैरी	9. जनेड़ 10. चम्यारा 11. पंजैली 12. पंजैल खुर्द 13. गलौड़ 14. चंजोटा 15. बैहली 16. नैरी	2. पंजैलखुर्द (मुख्यवास पंजैल खुर्द	1. वागकलां 2. पट्टा-नोडुआ 3. पंजैलकलां 4. सोहरी 5. पंजैल खुर्द 6. चजोटा 7. वैहली 8. नैरी 9. गाहुटा	2. ग्राम सभा वागकलां के सोहरी, पट्टा, नोडुआ, वागकलां, पंजैलकलां ग्रामों को तथा ग्राम सभा नमोहल के ग्राम, गाहुटा को वहां से अपवर्जित कर के पजैल खुर्द ग्राम सभा में मिलाया गया जिसका मुख्य वास अब धूणी पैंजैल के बजाए पंजैल खुर्द होगा ।
3.	नमहोल	1. नमहोल 2. मोसन 3. डुगलू 4. दमसेच 5. खलोटा 6. वाग खुर्द 7. सकरेहड़ 8. गुतराहन 9. गाहटा	1. गाहुटा	—	—	ग्राम "गाहुटा" को ग्राम सभा नमहोल से अपवर्जित करके ग्राम सभा पंजैल खुद में मिलाया गया है ।

शिमला–171002, 18 जून, 1985

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (4)-38/76-8.—अधिसूचना सं० पी० सी० एच०-एच० ए० (4)-38/76-4, दिनांक 29 अक्तूबर, 1983 को आंशिक रूप में संशोधित करके राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, उन शक्तियों के अन्तर्गत जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 4 तथा 5 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, जिला मण्डी के गोपालपुर विकास खण्ड के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन/विभाजन करके उनके लिए निम्न प्रकार से ग्राम सभाओं की स्थापना करते हैं :—

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ नं० 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	कोष्ठ नं० 2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जन होने वाले ग्रामों के नाम	अपवर्जित ग्रामों से बनी ग्राम सभा का नाम तथा उसका मुख्य वास	कोष्ठ सं० 5 में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	भरनाल	1. सड़वान 2. नाला रा गैहरा 3. कोलनी 4. भरनाल 5. दलवाण 6. घरवासड़ा 7. मसयाणी 8. नगरोट 9. करेड़ दुधवाण 10. हरण 11. मझवाड़ी	—	भरवान	कोष्ठ सं० 3 में वर्णित गांव तथा गांव खरसल।	ग्राम "खरसाल" को ग्राम सभा पौंटा से अपवर्जित करके ग्राम सभा भरनाल में सम्मिलित किया गया।
2.	पौंटा	1. वड़ाई 2. पौंटा 3. दरकोली 4. वग्गी 5. सिहारल 6. गहरी बहादरपुर। 7. अपर वरोट 8. लोअर वरोट 9. श्यामलात 10. चुहकू 11. फतैहपुर 12. लुणाधा 13. नालटा 14. तलाओ 15. अरसाल	1. खरसाल	—	—	कोष्ठ सं० 4 में अंकित गांव को ग्राम सभा पौंटा से अपवर्जित करके ग्राम सभा भरनाल में सम्मिलित किया गया।

शिमला-171002, 18 जून, 1985

संख्या पी0 सी0 एच0-एच ए0 (4)-59/76-4.—अधिसूचना संख्या पी0 सी0 एच0-एच ए0 (4)-59/76, दिनांक 29-10-1983 को आंशिक रूप में संशोधित करके राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, उन शक्तियों के अधीन जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 4 तथा 5 के अन्तर्गत प्राप्त हैं जिला सिरमौर के विकास खण्ड नाहन के ग्राम सभा क्षेत्र नाहन के कोष्ठ संख्या 3 के नीचे अंकित क्रम संख्या 13 तथा 14 के दो गावों "गिरदोनवा नाहन" तथा "छावनी शमशेर पुर" को वहां से हटाने का सहर्ष आदेश देते हैं क्योंकि ये दोनों गांव नगर पालिका नाहन में सम्मिलित हैं ।

शिमला-2, 18 जून 1985

संख्या पी0 सी0 एच0-एच ए0 (4)-6/77-5.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, उन शक्तियों के अधीन जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 3(1)एफ0 एफ के अन्तर्गत प्राप्त हैं, अनुसूची के कोष्ठ सं0 3 के नीचे अंकित जिला कुल्लू के राजस्व गांव "निरमण्ड" के उस भाग को जो कोष्ठ संख्या 7 के नीचे अंकित है इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी0 सी0 एच0-एच ए0 (4)-6/77-II, दिनांक 6-1-1979 के अधिलग्न में कोष्ठ संख्या 6 के नीचे अंकित नामों से ग्राम घोषित करने का सहर्ष आदेश देते हैं ।

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, उक्त अंकित अधिनियम तथा धारा के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन राजस्व गांव "आनी" तथा "लोट" के उस भाग को जो कोष्ठ संख्या 7 के नीचे अंकित है, कोष्ठ संख्या 6 के नीचे अंकित नाम से भी गांव घोषित करने का सहर्ष आदेश देते हैं:—

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम सभा का नाम	राजस्व गांव का नाम जिसके लिए नये नामों से ग्राम घोषित करने हैं	कोष्ठ सं0 4 में अंकित राजस्व गांव के खसरा नम्बरान	राजस्व गांव के विभाजित होने के फलस्वरूप नये ग्राम का नाम	कोष्ठ सं0 6 में ग्रामों के खसरा नम्बरान
1	2	3	4	5	6	7
1.	निरमण्ड	निरमण्ड	निरमण्ड	खसरा नम्बरान 1 से 5578	1. निरमण्ड	1 से 450, 982 से 1326, 1411 से 1458, 2998 से 3844, 4262 से 4572, 5069 से 5578.
					2. वाहवा	3845 से 4261, 4573 से 5068.
					3. भालसी	451 से 981, 1145 से 1410, 1459 से 2997.

1	2	3	4	5	6	7
2.	निरमण्ड	निरमण्ड	लोट	1 से 4006	1. लोट	1 से 2024
					2. दुराहा	2025 से 4006.
3.	आनी	आनी	फराहनाली	1 से 3743	1. आनी	1 से 1120, 1664 से 1770.
					2. तलुणा	1121 से 1663, 1771 से 3743.

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, उन शक्तियों के अधीन जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 4 तथा 5 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, उपरोक्त घोषित ग्रामों के लिए निम्न प्रकार से ग्राम सभा क्षेत्र घोषित करने का भी सहर्ष आदेश देते हैं :—

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ सं0 3 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नए घोषित नाम	नए घोषित ग्रामों के लिए नई ग्राम सभा का नाम तथा मुख्यावास
1	2	3	4	5
1.	निरमण्ड	निरमण्ड	1. निरमण्ड	1. निरमण्ड (निरमण्ड)
			2. वाहवा	2. वाहवा (चांवू)
			3. भालसी	3. भालसी (भालसी)
2.	निरमण्ड	लोट	1. लोट	1. लोट (सराहर)
			2. दुराहा	2. दुराहा (दुराहा)
3.	आनी	आनी	1. आनी	1. आनी (आनी)
			2. तलुणा	2. तलुणा (तलुणा)

शिमला-171002, 18 जून, 1985

संख्या पी0सी0एच0-एच ए(4)-56/76-7.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, उन शक्तियों के अन्तर्गत जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 4 तथा 5 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, जिला शिमला के ठियोग विकास खण्ड के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन/विभाजन करके उनके लिए निम्न प्रकार से ग्राम सभाओं की स्थापना करते हैं :—

क्र0 सं0	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ नं0 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	कोष्ठ नं0 2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जन होने वाले ग्रामों के नाम	अपवर्जित ग्रामों से बनी ग्राम सभा का नाम तथा उसका मुख्यवास	कोष्ठ सं0 5 में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	देवरीघाट	1. बलोआ 2. सोलू	1. बलोआ 2. सोलू	भराड़ा मुख्यवास	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित गांव	कोष्ठ सं0 4 गांव को छोड़कर कोष्ठ

1	2	3	4	5	6	7
		3. तुगला-पंजेरा	3. तुगला-पंजेरा।	(खोव)		सं0 3 के बाकी गांव ग्राम सभा देवरी घाट में ही रहेंगे।
		4. भराड़ा	4. भराड़ा			
		5. टिक्कर	5. टिक्कर			
		6. भड़याना	6. भड़याना			
		7. कुनदली	7. जुगो			
		8. रशोली	8. कीट			
		9. धनोत	9. क्यारी			
		10. जुगो	10. सरोग			
		11. कीट	11. कड़ेवग			
		12. शावय	12. जंगल भड़याना।			
		13. जनोटी	13. जंगल तुगला			
		14. जेठागांव	14. तुगला शिली नाली।			
		15. जेठाकुफर	15. धनोत			
		16. कुफर खेणा	16. कुन्दली			
		17. शदी	17. चलावग			
		18. चिची	18. रशोली			
		19. डिडी				
		20. वजेवग				
		21. चथेड़ी				
		22. नलेहा				
		23. पतोग				
		24. क्यारी				
		25. सरोग				
		26. कुडेवग				
		27. देवरीघाट				
		28. दीपडा				
		29. शाली-खगालद				
		30. चावट				
		31. रहीघाट				
		32. जतेणा				
		33. हुलधां				
		34. शडयाणा				
		35. टणकोटी				
		36. शकरावट				
		37. जनोग				
		38. चलावुग				
		39. तुगला शीली नाली।				

1	2	3	4	5	6	7
		40. जंगल ग्रोड 41. जंगल तुगला 42. जंगल बडयाना				

शिमला-2, 1 जुलाई, 1985

संख्या पी0सी0एच0-एच ए0(4)-38/76-7.—अधिसूचना संख्या पी0सी0एच0-एच ए0(4)-38/76-5, दिनांक 30 मई, 1984 को आंशिक रूप में संशोधित करके राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, उन शक्तियों के अन्तर्गत जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 4 तथा 5 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, जिला मण्डी के निम्नलिखित ग्राम क्षेत्रों का पुनर्गठन/विभाजन करके उनके लिए निम्न प्रकार से ग्राम सभाओं की स्थापना करते हैं:—

क्रम सं0	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ नं0 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	कोष्ठ सं0 2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित होने वाले ग्रामों के नाम	अपवर्जित ग्रामों से बनी ग्राम सभा का नाम तथा उसका मुख्य वास	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
		विकास खण्ड : करसोग				
1.	बगसाड़	1. विन्दला 2. भरोला 3. भौरा 4. कुन्ड 5. खडैहत 6. बेस्टा 7. मोरठी 8. दुघली 9. गुमा 10. जुजर 11. नरता 12. डमोग 13. खन्दयोत 14. शलौण 15. चोगड़ा 16. डी0पी0एफ धावला । 17. गडारी 18. थाडंग 19. जतखबी 20. डी0पी0एफ0	—	—	—	ग्राम सभा कांढी (सपनोट) के दो ग्राम "मैहरत" तथा "कांढी सलानी" को वहां से अपवर्जित करके ग्राम सभा बगसाड़ में सम्मिलित किया गया ।

1	2	3	4	5	6	7
		वगसाड़ । 21. मढियूनी 22. डी0पी0एफ0 थलूट । 23. थलूट 24. घरमण्डल 25. डी0पी0एफ0 मण्डप । 26. डी0पी0एफ0 कुमाहरू । 27. वगसाड़ 28. लूहारती				
2.	कांढी (सपनोट)	1. कांढी 2. वलासो, 3. डी0पी0एफ0 वलासो । 4. वहली 5. घवुफरी 6. डी0पी0एफ0 मैहरन । 7. डी0पी0एफ0 कटाहच दैहच । 8. डी0पी0एफ0 धारण्डा । 9. धार कांढलू 10. मैहरन 11. जिंगल 12. कांढ़ी सलानी	1. मैहरन 2. कांढी सलानी ।	—	—	1. कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम सभा कांढी (सपनोट) के 2 ग्रामों को वहां से अपवर्जित करके ग्राम सभा वगसाड में मिलाया गया । 2. कोष्ठ सं0 4 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर कोष्ठ संख्या 3 में वर्णित शेष 10 ग्राम, ग्राम सभा कांढी (सपनोट) में ही रहेंगे ।

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, उन शक्तियों के अधीन जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 4 व 5 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, जिला मण्डी के विकास खण्ड धर्मपुर की ग्राम सभा सन्धोट और पपलोग के विभाजन जो इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी0सी0एच0-एच ए0(4)-38/76, दिनांक 29-10-83 द्वारा था को रद्द करने का सहर्ष आदेश देते हैं ।

शिमला-2, 1 जुलाई, 1985

संख्या पी0सी0एच-एच ए0(4)-56/76-5.—अधिसूचना संख्या पी0सी0एच0-एच ए0(4)-52/76-5, दिनांक 18-6-1985 को आंशिक रूप में संशोधित कर के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, उन शक्तियों के अन्तर्गत जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19 वां अधिनियम) की धारा 4 तथा

5 के अन्तर्गत प्राप्त है, जिला हमीरपुर के हमीरपुर विकास खण्ड के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन/विभाजन करके उनके लिए निम्न प्रकार से ग्राम सभाओं की स्थापना करते हैं :—

क्रम संख्या	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ नं0 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	कोष्ठ सं02 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जन होने वाले ग्रामों के नाम	अपवर्जित ग्रामों से बनी ग्राम सभा का नाम तथा उसका मुख्य वास	कोष्ठ सं0 5 में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	उहल	1. उहल 2. भम्लोह 3. परताली 4. नलोट 5. लड़यार 6. तिमाणा 7. लग 8. कड़ियार 9. भटेड़ 10. बकनियार 11. कलोह	1. बकनियार 2. कलोह 3. भटेड़	भटेड (भटेड़)	कोष्ट सं0 4 में वर्णित ग्राम	कोष्ठ सं0 4 में अंकित 3 ग्रामों को छोड़ कर कोष्ठ सं0 3 के शेष 8 ग्रामों, ग्राम सभा उहल में ही रहेंगे ।

शिमला-2, 1 जुलाई, 1985

संख्या पी0सी0एच0-एच ए0(4)-16/76-12.—अधिसूचना संख्या पी0सी0एच0-एच ए0(4)-16/76-8, दिनांक 5 मई, 1984 को आंशिक रूप में संशोधित करके राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, उन शक्तियों के अन्तर्गत जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968(वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 4 तथा 5 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, जिला कांगड़ा के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन/विभाजन करके उनके लिए निम्न प्रकार से ग्राम सभाओं की स्थापना करते हैं:—

क्र0 सं0	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ नं02 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	कोष्ठ सं02 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जन होने वाले ग्रामों के नाम	अपवर्जित ग्रामों से बनी ग्राम सभा का नाम तथा उनका मुख्यवास ।	कोष्ठ सं05 में-वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
	1. विकास खण्ड : पंचरूखी					
1.	आइमा	1. आइमा 2. लोहना 3. सुघर 4. बन्दला टी	—	आइमा	कोष्ठ सं03 में वर्णित ग्राम तथा ग्राम : 1. सुरहड़	कोष्ठ सं0 6 में क्रम सं0 1 से 2 में वर्णित गांव, ग्राम सभा बन्दला से अपवर्जित करके

1	2	3	4	5	6	7
		इस्टेट । 5. निहंग			2. हार	ग्राम सभा आइमा में शामिल किये गये हैं ।
2.	बन्दला	1. बन्दला 2. भठरका 3. नछीर 4. शामलात देह । 5. बोहिला 6. झन्झारड़ा 7. सुरहड़ 8. हार 9. कोहली	1. सुरहड़ 2. हार	—	—	1. कोष्ठ सं04 में वर्णित गांव, ग्राम सभा बन्दला से अपवर्जित करके ग्राम सभा आइमा में शामिल किए गए हैं । 2. कोष्ठ सं0 4 में वर्णित गांव को छोड़ कर कोष्ठ संख्या 3 के शेष गांव ग्राम सभा बन्दला में ही रहेंगे ।
		2. विकास खण्ड : नूरपुर				
1.	वासा वजीरा	1. वासा वजीरा 2. कण्डी 3. भगनाड़ा 4. जाच्छ	1. जाच्छ	जाच्छ (जाच्छ)	कोष्ठ सं0 4 में वर्णित गांव	कोष्ठ सं0 4 में वर्णित गांव को छोड़ कर कोष्ठ संख्या 3 के शेष 3 गांव, ग्राम सभा वासा वजीरा में ही रहेंगे ।
		3. विकास खण्ड : कांगड़ा				
1.	रानीताल	1. रानीताल 2. रसुह 3. राजौर 4. बांध 5. भगवार 6. सुकाबाग 7. चकवन भगवार	1. भगवार 2. सुकाबाग 3. बांध 4. चकवन भगवार ।	भगवार (भगवार)	कोष्ठ सं0 4 में वर्णित गांव	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित 4 ग्रामों को छोड़ कर कोष्ठ संख्या 3 में अंकित शेष 3 ग्राम, ग्राम सभा रानीताल में ही रहेंगे ।

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, उन शक्तियों के अधीन, जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 4 व 5 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, जिला कांगड़ा के विकास खण्ड नगरोटा सूरियां विकास खण्ड के ग्राम सभा क्षेत्र धमेटा और समकड़ के विभाजन को जोकि इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी0सी0एच0 एच-ए0 (4)-16/76-12, दिनांक 4 अप्रैल, 1985 के अन्तर्गत अधिसूचित हुआ है रद्द करने का भी सहर्ष आदेश देते हैं ।

आदेश से
हस्ताक्षरित
सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।